न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर आरसीटी 127/17 दांडिक प्रकरण क.-102/17 संस्थापित दिनांक-11.04.17

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

अभियोजन

विरुद्ध

01-खेतसिह पुत्र सुजानसिह लोधी आयु 62 वर्ष 02-श्यामबाई पत्नी खेतसिह लोधी आयु 60 वर्ष 03-महेश पुत्र खेतसिह लोधी आयु 28 वर्ष निवासीगण नयाखेडा, तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म०प्र०)

आरोपीगण

राज्य द्वारा

:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।

आरोपीगण द्वारा :- श्री पठान अधिवक्ता।

-: <u>निर्णय</u> :--

<u>(आज दिनांक 08.02.2018 को घोषित)</u>

- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह 01-अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा ४९८ए के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है। 02-

- 03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी इन्द्राबाई ने दिनांक 29.03.17 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 29.03.17 को तथा उसके पूर्व आरोपी ने उसे प्रताडित किया। फरियादी के अनुसार आरोपी उसे मानसिक व शारिरिक रूप से प्रताडित करता था तथा उसने उसे चार माह पूर्व मारपीट करके भगा दिया था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 126/17 के अंतर्गत भादिव की धारा 498ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 29.03.11से दिनांक 29.03.17 के मध्य फिरयादिया की ससुराल घर, ग्राम नयाखेडा , थाना चंदेरी पर फिरयादिया इंद्राबाई के रिश्तेदार होते हुए उसे बच्चे न होने से उसे घर से मारपीट कर भगाकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कूरता कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

- 06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 इन्द्रबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।
- 07— अभियोजन साक्षी 01 इन्द्राबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी खेतसिह उसका ससुर है, श्यामबाई उसकी सास है। उक्त साक्षी के अनुसार बच्चा न

होने की बात पर से उसका वाद विवाद हो गया था ओर वह अपने मायके आ गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे मायके लिवाने कोई नही आया इस कारणवश उसने प्र0पी02 की रिपोर्ट लेखवद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण उसे मानसिक एवं शारिरिक रूप से प्रताडित करते थे। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण उसके पिता से दो लाख रूपये की मांग कर रहे थे। उक्त साक्षी ने प्र0पी01 की रिपोर्ट के बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र0पी03 का बी से बी भाग देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने फरियादी को शारिरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कूरता कारित की।

- 08— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादि की धारा 498ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 09— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 11— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

1

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)